रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265968 CG-DL-E-04092025-265968

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2025/भाद्र 12, 1947

No. 558]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2025/BHADRA 12, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 602(अ).—



जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (ब्रिक) जैव प्रौद्योगिकी संगठन विभाग

## ब्रिक सचिवालय भर्ती नियम

5917 GI/2025 (1)

## 2025

#### ब्रिक सचिवालय भर्ती नियम- 2025

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

इन नियमों को "ब्रिक्स सचिवालय भर्ती नियम-2025" कहा जा सकता है। ये भारत सरकार के अनुमोदन से ब्रिक द्वारा अधिसूचना जारी करने की तारीख से लागू होंगे।

#### 2. उद्देश्य

- ब्रिक के उद्देश्यों को पूरा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित क्षमता, कौशल, योग्यता, अभिरुचि,
  गुणवत्ता और उनकी उपयुक्तता के आधार पर सक्षम कर्मचारियों की भर्ती करके ब्रिक सचिवालय की
  जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करना।
- ii. ब्रिक की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करना, उनका चयन करना और उन्हें बनाए रखना।
- iii. चयन की एक वस्तुपरक और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करना।
- iv. कर्मचारियों के विकास के अवसरों को ब्रिक के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ समायोजित करना।
- v. कर्मचारियों की भर्ती के मामले में एक ऐसी प्रणाली विकसित करना, जो निष्पक्ष, वस्तुपरक और पारदर्शी हो।
- vi. भर्ती के मामले में प्रासंगिक सरकारी नीतियों और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

#### परिभाषाएँ एवं संक्षिप्तीकरण

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा

- i. आयु: आयु का तात्पर्य जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन/कक्षा-10 के प्रमाण पत्र में उल्लिखित वैध आयु या इन नियमों में निर्दिष्ट मैट्रिकुलेशन/कक्षा-10 के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट समकक्ष आयु से है।
- ii. अनुलग्नक: का तात्पर्य इन नियमों की अनुसूचियों से जुड़े अनुलग्नकों से होगा।
- iii. अनुमोदन प्राधिकारी: इन नियमों के खंड 9 में निर्दिष्टानुसार होगा।
- iv. नियुक्ति प्राधिकारी: इन नियमों के खंड 9 में निर्दिष्टानुसार होगा और वह प्राधिकारी होगा जो इन नियमों के तहत नियमित क्षमता में कार्यभार संभाल रहा है।
- v. **ब्रिक:** से तात्पर्य 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद' से होगा, जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है।
- vi. उपनियम: इसका तात्पर्य ब्रिक उपनियमों से होगा, जिन्हें समय-समय पर डीबीटी के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) की वित्तीय सहमित तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तैयार एवं संशोधित किया गया हो।
- vii. अभ्यर्थी: इस से ऐसा व्यक्ति/कर्मचारी सदस्य अभिप्रेत है जो इन नियमों की अनुसूचियों में निर्दिष्ट किसी भी पद के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र है।
- viii. **सक्षम प्राधिकारी**: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रभारी मंत्री या ऐसा कोई प्राधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति इस प्रकार प्रत्यायोजित की गई हो।
- ix. **डीबीटी:** से बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है।
- x. उप महानिदेशक: उप महानिदेशक (डीडीजी) से ब्रिक के उप महानिदेशक अभिप्रेत है।
- xi. निदेशक: से तात्पर्य ब्रिक के निदेशक से है।
- xii. महानिदेशक: महानिदेशक (डीजी) से तात्पर्य ब्रिक के महानिदेशक अभिप्रेत है।
- xiii. डीओपीटी: से भारत सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अभिप्रेत है।

- xiv. **ड्यूटी पद**: से व्यय विभाग द्वारा स्वीकृत इन नियमों की अनुसूची में शामिल सभी स्वीकृत से अभिप्रेत हैं।
- xv. **ईएफसी:** से भारत सरकार की व्यय वित्त समिति अभिप्रेत है।
- xvi. I. वेतन स्तर 14 अर्थात डीडीजी (प्रशासन/वित्त/विज्ञान) के पद के लिए:

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार माननीय मंत्री के अनुमोदन से खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) के माध्यम से।

- II. वेतन स्तर 13क अर्थात निदेशक (विज्ञान) के पद के लिए÷ निम्नानुसार गठित भर्ती समिति के माध्यम से:
  - a. अध्यक्ष महानिदेशक, ब्रिक
  - b. सदस्य सचिव, डीबीटी द्वारा नामित दो वैज्ञानिक विशेषज्ञ, जो वेतन स्तर 14 से नीचे नहीं होंगे
  - e. सदस्य संयुक्त सचिव (प्रशा.), डीबीटी
- III. वेतन स्तर 13 अर्थात निदेशक (प्रशासन) के पद के लिए÷ निम्नानुसार गठित भर्ती समिति के माध्यम से:-
  - क. अध्यक्ष- महानिदेशक, ब्रिक।
  - ख. सदस्य- उप महानिदेशक (प्रशासन), ब्रिक।
  - ग. सदस्य- संयुक्त सचिव (प्रशा.), डीबीटी।
- IV. वेतन स्तर 13 अर्थात निदेशक (वित्त) के पद के लिए÷ निम्नानुसार गठित भर्ती समिति के माध्यम से:-
  - क. अध्यक्ष- महानिदेशक, ब्रिक।
  - ख. सदस्य- अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, डीबीटी
  - ग. सदस्य- उप महानिदेशक (वित्त), ब्रिक।
  - घ. सदस्य- प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव (प्रशा.), डीबीटी।
- V. वेतन स्तर 12 अर्थात उप निदेशक पद के लिए निम्नानुसार गठित भर्ती समिति के माध्यम से:-
  - क. अध्यक्ष- महानिदेशक, ब्रिक।
  - ख. सदस्य- दो वैज्ञानिक विशेषज्ञ, सचिव, डीबीटी द्वारा नामित किए जाएंगे, जो वेतन स्तर 13 से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे।
  - ग. सदस्य- प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव, डीबीटी।
- VI. वेतन स्तर 12 से वेतन स्तर-6 तक के पदों के लिए अर्थात वरिष्ठ पीपीएस, सहायक निदेशक, पीएस, एसओ और एएसओ:

निम्नलिखित संरचना वाली भर्ती समिति के माध्यम से:-

- क. अध्यक्ष के प्रभारी संयुक्त सचिव (प्रशा.), डीबीटी
- ख. सदस्य डीडीजी (प्रशासन), ब्रिक
- ग. सदस्य निदेशक (प्रशासन), ब्रिक
- VII. समिति का गठन करते समय सामान्य विचार

- पदों के आरक्षित होने या भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवार आरक्षित समुदाय से होने की स्थिति
  में आरक्षित समुदाय के सदस्य समिति में शामिल होंगे, भले ही जिस पद के लिए भर्ती हो रही है
  वह अनारक्षित हो।
- b. सतर्कता संगठन का कोई भी सदस्य समिति में भाग नहीं लेगा।
- c. कोई भी अधिकारी जिसका नाम संदिग्ध सूची में है या जिसके खिलाफ सतर्कता का कोई मामला लंबित है, वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा।
- अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों की भर्ती के मामले में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य समिति
  में शामिल होंगे (एक ग्रेड नीचे हो सकते हैं)। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों पर विचार किया जाना
  चाहिए यानी मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध और भाषाई आदि जैसे किसी अन्य
  अल्पसंख्यक पर नहीं।)
- e. एक महिला सदस्य अनिवार्य रूप से समिति में शामिल होगी।

#### VIII. पृष्टिकरण समिति: नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जाने वाली समिति।

- xvii. स्वायत्तशासी निकाय: इसका वही अर्थ होगा जो ब्रिक के एसोसिएशन के ज्ञापन और उपनियमों में परिभाषित किया गया है।
- xviii. **संस्थान:** इसका अर्थ ब्रिक के 13 स्वायत्त संस्थानों में से किसी भी संस्थान को माना जाएगा।
- xix. स्तर: इसका अर्थ सीसीएस (आरपी) नियम 2016 के अनुसार इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट पदों के संगत प्रतिस्थापन स्तर है।
- xx. **एसोसिएशन का ज्ञापन:** इसका अर्थ ब्रिक सोसाइटी के नियमों और शर्तों का वर्णन करने वाले एसोसिएशन के ज्ञापन और नियम और विनियम से है।
- xxi. भर्ती नियम (आरआर): इसका अर्थ इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ड्यूटी पदों पर भर्ती के लिए बनाए गए नियमों से हैं।
- xxii. अनुसूची: इसका अर्थ इन नियमों से जुड़ी अनुसूची से है।
- xxiii. **खोज सह चयन समिति (एससीएससी)**: इसका वही अर्थ होगा जो समय-समय पर डीओपीटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है।
- xxiv. "अनुसूचित जाति" (एससी), "अनुसूचित जनजाति" (एसटी), "अन्य पिछड़ा वर्ग" (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (ईडब्ल्यूएस), "भूतपूर्व सैनिक" (ईएसएम) और "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति" (पीडब्ल्यूबीडी): का अर्थ क्रमशः भारत के संविधान/संसद के अधिनियमों में उनके लिए निर्धारित अर्थ से हैं।

#### 4. प्रयोज्यता

ये नियम ब्रिक सचिवालय में नियमित आधार पर ड्यूटी पद पर कार्यरत सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे।

#### 5. आयु में छूट:

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/बेंचमार्क विकलांगता वाले पूर्व सैनिकों के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आयु में छूट संबंधी दिशानिर्देश लागू होंगे।
- विज्ञापन द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क निम्नलिखित होगा।

के लिए आवेद	न →		स्तर 9 और नीचे	स्तर -10 और	स्तर 14 और
				उससे ऊपर	उससे ऊपर
अनारक्षित	एवं	ओबीसी	Rs 500/-	Rs 1000/-	Rs 1500/-
उम्मीदवार					

5

- a. संस्थान द्वारा व्यय विहीन भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
- b. महानिदेशक (डीजी) की अध्यक्षता में विधिवत गठित समिति द्वारा प्रत्येक 02 वर्ष में आवेदन शुल्क की समीक्षा की जाएगी।
- c. भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय (ii) महिला, पूर्व सैनिक और किसी भी समुदाय के दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।

#### 6. चयन की विधि

- अनुसूची में दिए गए प्रत्येक पद के लिए भर्ती की पद्धित, जिसे सार्वजिनक विज्ञापन द्वारा भरा जाना है,
   डीओपीटी के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
- ii. भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता का पालन किया जाएगा।
- iii. अनुसूची में उल्लिखित पदों को समुचित कार्रवाई द्वारा भरा जाएगा तथा भरे जाने से पहले अंग्रेजी और हिंदी भाषा के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा तथा इस संबंध में सचिव, डीबीटी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- iv. भर्ती प्रक्रिया के लिए भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रत्येक प्रावधान सहित विज्ञापन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि रिक्तियों की संख्या या प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जाता है तो भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी।
- v. भर्ती नियमों में होने वाले किसी संशोधित प्रावधान के साथ किसी पद को भरने के मामले में, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले माननीय मंत्री, डीबीटी का अनुमोदन लिया जाएगा।
- vi. एससीएससी/चयन समिति द्वारा सभी पदों के लिए योग्यता के क्रम में तैयार अनुशंसित पैनल को लागू करने से पहले अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और यह एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- vii. नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उन पदों के लिए किया जाएगा जो विधिवत विज्ञापित किए गए थे।
- viii. प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया को आमतौर पर एक बार शुरू होने के बाद अधिकतम 08 महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा, बशर्तें किसी न्यायालय के आदेश से रोक न लगाई जाए या सरकार द्वारा कोई अन्य निर्णय न लिया जाए। प्रक्रिया को न्यनतम अवधि में पुरा करने का प्रयास किया जाएगा।
- ix. कर्मचारियों की कमी के मामले में, अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए व्यय विभाग की उचित मंजूरी ली जाएगी।
- x. ़यदि यह देखा जाता है कि भर्ती के निर्धारित तरीके से कोई पद न्यूनतम (02) दो बार विज्ञापित होने के बावजूद नहीं भरा जा रहा है, तो भर्ती नियमों के प्रावधानों में माननीय मंत्री, डीबीटी के अनुमोदन से उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है और भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधानों के साथ भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सकती है।

#### 7. प्रारंभिक नियुक्ति पर योग्यता का निर्धारण

एक ही ग्रेड में एक ही तिथि पर दो या अधिक उम्मीदवारों के चयन के मामले में, पैनल में रैंक निर्धारित करने के उद्देश्य से चयनित उम्मीदवारों की योग्यता के क्रम में अनुशंसा को अनिवार्य रूप से आधार बनाया जाएगा। यदि दो या अधिक उम्मीदवार एक समान प्राप्त करते है हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों के मामले में पैनल में रैंक निम्नानुसार तय की जाएगी:

- i. पैनल में वरिष्ठ उम्मीदवार को रैंक में ऊपर रखा जाएगा;
- ii. यदि उम्मीदवारों की जन्मतिथि समान है तो उम्मीदवार के कार्य अनुभव पर विचार किया जाएगा; और
- iii. यदि कार्य अनुभव भी समान है तो पैनल में रैंक निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों के नाम के वर्णानुक्रम को आधार बनाया जाएगा।

#### 8. सीधी भर्ती की शर्त

 ब्रिक में सभी नियुक्तियां इस शर्त के अधीन होंगी कि चयनित उम्मीदवार चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ हो, जैसा ब्रिक द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। ब्रिक अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों की सूची अधिसूचित करेगा, जिनमें अनिवार्य रूप से सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर शामिल होंगे, जो वास्तविक नियुक्ति से पहले चयनित उम्मीदवारों की चिकित्सकीय जांच करेंगे। चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में डीडीजी (प्रशासन), ब्रिक को भेजी जाएगी। डीडीजी एवं प्रशासन, विज्ञान एवं वित्त की रिपोर्ट के मामले में, इसे डीजी, ब्रिक को सीलबंद लिफाफे में भेजा जाएगा।

ii. पुलिस प्राधिकारियों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन तथा शैक्षणिक संस्थानों और पिछले नियोक्ता से अन्य प्रशंसापत्र/प्रमाणपत्रों का सत्यापन, डीओपीटी द्वारा इस संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित 29 जून,
 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/2(s)/2016-स्था. (बी)(i) के तहत जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

#### 9. नियुक्ति प्राधिकारी और अनुमोदन प्राधिकारी

- i. वेतन स्तर 14 के पदों के लिए: माननीय मंत्री, डीबीटी।
- ii. वेतन स्तर 11 से वेतन स्तर 13 ए तक के पदों के लिए: महानिदेशक, ब्रिक, माननीय मंत्री, डीबीटी के अनुमोदन से।
- iii. वेतन स्तर 6 और वेतन स्तर 8 के पदों के लिए: उप महानिदेशक (प्रशासन), ब्रिक, महानिदेशक, ब्रिक के अनुमोदन से।

#### 10. परिवीक्षा और पुष्टि

- i. सीधी भर्ती द्वारा प्रथम नियुक्ति पर अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगे।
- ii. इन नियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी स्टाफ सदस्य की परिवीक्षा अवधि समाप्त की जा सकती है या अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
- iii. यदि परिवीक्षा अवधि समाप्त कर दी जाती है, तो सामान्य परिवीक्षा अवधि के अंत में या बढ़ाई गई अवधि के अंत में
  - क) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सीधे भर्ती किया गया था, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रूभाव से समाप्त कर दी जाएंगी, तथा
  - ख) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ब्रिक का कर्मचारी था, तो उसे उसके पूर्व पद/ग्रेड में वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते नियमों के अनुसार उसका पुर्न ग्रहणाधिकार बरकरार रखा गया हो।
- iv. परिवीक्षा के संतोषजनक समापन के प्रत्येक मामले में, परिवीक्षा अविध के सफलतापूर्वक पूरा होने की पृष्टि करने वाला एक लिखित आदेश होगा। आदेश में वह तिथि निर्दिष्ट की जाएगी जिस पर परिवीक्षा अविध संतोषजनक रूप से पूरी हुई मानी जाएगी। ऐसे आदेश न होने की स्थिति में, परिवीक्षा अविध की पृष्टि नहीं मानी जाएगी; इसका अर्थ यह है कि परिवीक्षा अविध पूरी होने के बाद पृष्टि स्वत: नहीं मानी जाएगी, बिल्क गठित पृष्टि समिति की सिफारिश के बाद नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से उचित प्रक्रिया के साथ सकारात्मक रूप से की जाएगी। किसी भी मामले में, ऐसी समिति हमेशा परिवीक्षा अविध या परिवीक्षा की विस्तारित अविध के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर गठित की जाएगी। समिति अपने गठन के 04 सप्ताह के भीतर अपनी अनुशंसा करेगी।
- v. परिवीक्षा की पृष्टि के विभिन्न स्तरों के मामलों में निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा:
  - क) वेतन स्तर 14 माननीय मंत्री, डीबीटी।
  - ख) वेतन स्तर 11 से वेतन स्तर 13 ए महानिदेशक, ब्रिक
  - ग) वेतन स्तर 6 और वेतन स्तर 8 उप महानिदेशक (प्रशासन)
- vi. यदि नियुक्ति प्राधिकारी पुष्टिकरण समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो वह सिफारिशों को अस्वीकृत करने तथा परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करने से पहले लिखित में अपने कारण अभिलेखबद्ध करेगा।
- vii. परिवीक्षाधीन कार्मिक की सेवा निर्धारित परिवीक्षा अवधि अथवा विस्तारित परिवीक्षा अवधि, जैसा भी मामला हो, के संतोषजनक ढंग से पूरा होने की तारीख के बाद की तारीख से पुष्टि की जाएंगी, जिसके पश्चात ही वह अपने त्यागपत्र/मृत्यु/सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, ब्रिक का नियमित कर्मचारी माना जाएगा।

viii. केवल नियमित पदों पर नियुक्त कर्मचारी (चाहे वे परिवीक्षा पर हों अथवा स्थायी) ही सचिवालय के सेवा लाभों जैसे अवकाश लाभ, वेतन एवं भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा लाभ, अन्य लाभ आदि के लिए पात्र होंगे।.

#### 11. प्रतिनियुक्ति की अवधि

- प्रितिनियुक्ति की अविध न्यूनतम तीन वर्ष की होगी, जिसे केवल पदधारी और मूल संगठन की लिखित सहमित के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा आदेशों के अनुसार अधिकतम अविध तक बढ़ाया जा सकता है। प्रितिनियुक्ति की अविध के मामले में नियम और शर्तें समय-समय पर जारी भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।
- ii. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, उम्मीदवार का कार्यकाल मूल संगठन अर्थात ब्रिक के आचरण नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
- iii. मूल संगठन द्वारा अनिवार्य किए गए किसी भी ऐसे योगदान के लिए प्रतिनियुक्ति संगठन जिम्मेदार होगा।
- iv. प्रतिनियुक्ति पर तैनात उम्मीदवार का पुर्न: ग्रहणाधिकार प्रतिनियुक्ति की अवधि तक प्रतिनियुक्ति वाले संगठन में सुरक्षित रखा जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उम्मीदवार को तुरंत उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया जाएगा।
- v. प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गए पद आरक्षण नियमों से मुक्त होंगे।

#### 12. भारत या विदेश में सेवा करने के लिए अधिकारियों का दायित्व

इन नियमों के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों को देश में या विदेश में कहीं भी सेवा करनी होगी। ब्रिक सचिवालय से दूर सेवा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और माननीय मंत्री, डीबीटी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

- 13. अनर्हताः नीचे दर्शाए गए व्यक्ति नियुक्ति/सेवा के लिए अयोग्य माने जाएंगेः
  - i. जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
  - ii. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

 जिस व्यक्ति में चिरत्र और पूर्ववृत्त पर जिला मिजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा आपित्त की गई हो/जिसकी पहचान पुलिस द्वारा सत्यापित न की गई हों।

#### 14. नियुक्ति निरस्त करना

परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर (बिना सूचना के) किया जा सकता है, यदि नियुक्त व्यक्ति ने नियुक्ति से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर:

- गलत तरीके या इरादे से नियुक्ति पाने के लिए जानकारी छिपाई, गलत जानकारी दी या झूठे प्रमाण पत्र/प्रशंसापत्र प्रस्तुत किए हो,
- ii. शपथ पत्र प्रस्तुत करना,
- iii. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत किसी अपराध का दोषी पाया गया हो और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के किसी भी प्रावधान के तहत सजा दी गई हो।
- iv. ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा हो जो राज्य के हितों के लिए हानिकारक हों।

#### 15. भर्ती नियमों की आवधिक समीक्षा

भर्ती नियमों के प्रावधानों की प्रत्येक 05 वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाएगी, ताकि परिवर्तित स्थिति के अनुरूप उनमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें।

#### 16. इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार

केवल मूल/नियमित/पूर्णकालिक आधार पर नियमित रूप से नियुक्त नियुक्ति प्राधिकारी को ही इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार का प्रयोग करने की शक्ति होगी।

#### 17. शिथिलीकरण/संशोधन/परिवर्तन की शक्तियां

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के किसी भी प्रावधान को भारत सरकार में डीबीटी के माननीय मंत्री के अनुमोदन से ब्रिक के शासी निकाय की सिफारिशों पर शिथिल/संशोधित/परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते वे भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप हों।

#### 18. न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

ब्रिक एवं अन्य के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय रहेगा।

#### 19. बचत खंड

- इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा
   अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के
   अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छुट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।
- ii. उन परिस्थितियों में जहां इन भर्ती नियमों में कोई विशिष्ट खंड प्रदान नहीं किया गया है भारत सरकार के
   प्रावधान लागू होंगे।

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	उप महानिदेशक (विज्ञान)
2	वर्गीकरण	वैज्ञानिक
3	वेतन स्तर	14 ( 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	2 (2024)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद (एनएस) है?	लागू नहीं
6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सदस्यों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं	नहीं
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श लिए जाने से छुट प्राप्त है	लागू नहीं
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता	भारतीय
9	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती, सीधी भर्ती न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का %	100%
11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती है तो सीधी	सीधी भर्ती के लिए 50 वर्ष और प्रतिनियुक्ति

	भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा	(अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए 58 वर्ष
12	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव	अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या रासायन या कम्प्यूटेशनल और सूचना या कृषि या फार्मास्युटिकल या पशु चिकित्सा विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) सहित अहर्ता प्राप्त करने के पश्चात अनुसंधान और विकास या प्रबंधन और प्रशासन या योजना या औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थानों या जैव प्रौद्योगिकी के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में कम से कम सोलह वर्ष का अनुभव।
13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	प्रतिनियुक्ति:  I) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों के वैज्ञानिक, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन:- (क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो (ख) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, (ii) वेतन स्तर-13ए/13 में 2/3 वर्ष की नियमित सेवा हो
		II)अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योगों के वैज्ञानिक जो सीधे तौर पर सरकार से संबंधित नहीं हैं और भारत के अंदर या बाहर किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद पर हैं, जिनके पास ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और कार्यरत अनुभव हो।
14	भर्ती समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 3 xvi. (I) के अनुसार
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियमों के खंड 10 (v) (क) के अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा पदोन्नति (एनएस)	लागू नहीं
17	पदोन्नति समिति की संरचना	लागू नहीं
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित न्यूनतम वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	लागू नहीं

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	निदेशक (विज्ञान)
2	वर्गीकरण	वैज्ञानिक

3	वेतन स्तर	13 ए (7वे वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	2 (2023)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद (एनएस) है?	लागू नहीं
6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सदस्यों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं	नहीं
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श लिए जाने से छुट प्राप्त है	लागू नहीं
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता	भारतीय
9	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती, सीधी भर्ती न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का %	100%
11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती है तो सीधी भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए 50 वर्ष और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए 56 वर्ष
12	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव	अनिवार्य योग्यताः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या रासायन या कम्प्यूटेशनल और सूचना या कृषि या फार्मास्युटिकल या पशु चिकित्सा विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) सहित अहर्ता प्राप्त करने के पश्चात अनुसंधान और विकास या प्रबंधन और प्रशासन या योजना या औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थानों या जैव प्रौद्योगिकी के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में कम से कम बारह वर्ष का अनुभव
13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	प्रतिनियुक्तिः  I) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों के वैज्ञानिक, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन:-  (क) सीधे भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो (ख) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो या, (ii) वेतन स्तर-13 में 2 वर्ष की नियमित सेवा हो  या  II)अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योगों के वैज्ञानिक जो सीधे तौर पर सरकार से संबंधित नहीं हैं और भारत के भीतर या बाहर किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान या उद्योग में सदृश पद धारण करने वाले जिनके पास ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता

		और अनुभव हो।
14	भर्ती समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड <i>3 xvi. (II)</i> के
		अनुसार
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 10 (v) (ख) के
		अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा	लागू नहीं
	पदोन्नति (एनएस)	
17	पदोन्नति समिति की संरचना	आरएफसीएस के अनुसार
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित न्यूनतम	लागू नहीं
	वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	उप निदेशक
2	वर्गीकरण	वैज्ञानिक
3	वेतन स्तर	12 ( 7वे वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	2 (2023)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद (एनएस) है?	लागू नहीं
6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सदस्यों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं	नहीं
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श लिए जाने से छूट प्राप्त है	लागू नहीं
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता	भारतीय
9	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भती, सीधी भर्ती न होने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का %	100%
11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती है तो सीधी भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए 50 वर्ष और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए 56 वर्ष
12	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव	अनिवार्य योग्यताः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीवन विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या रसायन या कम्प्यूटेशनल और सूचना या कृषि या फार्मास्युटिकल या पशु चिकित्सा विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) सिहत, अहर्ता प्राप्त करने के पश्चात अनुसंधान और विकास या प्रबंधन और प्रशासन या योजना या औद्योगिक या शैक्षणिक संस्थानों या जैव प्रौद्योगिकी के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में कम से कम चार वर्ष का अनुभव

13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	प्रतिनियुक्तिः
		I) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थाओं के वैज्ञानिक, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन: - (क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों (ख)(i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो या (ii) वेतन स्तर-11 में 4 वर्ष की नियमित सेवा हो या
		II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योगों के वैज्ञानिक जो सीधे तौर पर सरकार से संबंधित नहीं हैं और भारत के भीतर या बाहर किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान या उद्योग में सदृश्य पद धारण करते हैं, जिनके पास ऊपर
		पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव है।
14	भर्ती समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 3 xvi. (V) के अनुसार
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 10 (v) (ख) के अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा पदोन्नति (एनएस)	लागू नहीं
17	पदोन्नति समिति की संरचना	आरएफसीएस के अनुसार
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित न्यूनतम वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	लागू नहीं

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	उप महानिदेशक (प्रशासन/वित्त)
2	वर्गीकरण	प्रशासनिक
3	वेतन स्तर	14 ( 7वें वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	2 (2024)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद	लागू नहीं
	(एनएस) है?	
6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित	नहीं
	जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	
	समुदाय के सदस्यों के आरक्षण के दायरे से बाहर	
	ंगेर	
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श	लागू नहीं
	लिए जाने से छूट प्राप्त है	
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की	भारतीय
	राष्ट्रीयता	
9	नियुक्ति की पद्धति	पदोन्नति, पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

[भाग II—	-खण्ड 3(i)]	भारत का राजप	पत्र : असाधारण 13
			(अल्पकालिक अनुबंध सहित) तथा दोनों न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का प	9/o	100%
11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीर्ध भर्ती लिए जाने वाले व्यक्ति सीमा		सीधी भर्ती के लिए 50 वर्ष और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए 58 वर्ष
12	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक य	ोग्यता और अनुभव	अनिवार्य योग्यताः संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री/संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ स्नातक डिग्री/सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएमए/सीएस के पश्चात न्यूनतम सोलह वर्ष पर्यवेक्षीय अनुभव वांछनीयः - सरकारी नियमों और विनियमों और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में कार्य करने की जानकारी
13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता		उप महानिदेशक (प्रशासन के पद के लिए)
			<u>पदोन्नतिः</u>
			वेतन स्तर-13 में 3 वर्ष की नियमित सेवा हो
			<u>प्रतिनियुक्तिः</u>
			I) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थाओं के अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन: - (क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों (ख) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ii) वेतन स्तर-13ए/13 में 2/3 वर्ष की नियमित सेवा हो या
			II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योगों के अधिकारी जो सीधे तौर पर सरकार से संबंधित नहीं हैं और किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद धारण करते हैं, जिनके पास ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव हो।
			<u>उप महानिदेशक (वित्त) के पद के लिए</u>
			<u>पदोन्नतिः</u>
			वेतन स्तर-13 में 3 वर्ष की नियमित सेवा हो
			<u>प्रतिनियुक्तिः</u>

		I) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थाओं के अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन: - (क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों (ख) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों या (ii) वेतन स्तर-13क/13 में 2/3 वर्ष की नियमित सेवा हो या  II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योगों के अधिकारी जो सीधे तौर पर सरकार से संबंधित नहीं हैं और ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव हो और किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद
14	भर्ती समिति की संरचना	धारण किए हों  ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 3 xvi. (I) के
	·	अनुसार
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड $10  (\mathrm{v})  (\mathrm{v})$ के अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा पदोन्नति (एनएस)	लागू नहीं
17	पदोन्नति समिति की संरचना	लागू नहीं
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित न्यूनतम वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	लागू नहीं

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	निदेशक (प्रशासन/वित्त)
2	वर्गीकरण	प्रशासनिक
3	वेतन स्तर	13 (7वें वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	2 (2023)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद	लागू नहीं
	(एनएस) है?	
6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/	नहीं
	अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय	
	के सदस्यों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं	
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श	लागू नहीं
	लिए जाने से छूट प्राप्त है	
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की	भारतीय
	राष्ट्रीयता	
9	नियुक्ति की पद्धति	पदोन्नति, पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

		(अल्पकालिक अनुबंध सहित) तथा दोनों न होने पर सीधी   भर्ती द्वारा
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का %	100%
11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती है तो सीधी भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए 50 वर्ष और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए 56 वर्ष
12	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव	अनिवार्य योग्यताः संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री/संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ स्नातक डिग्री/सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएमए/सीएस के पश्चात न्यूनतम पंद्रह वर्ष का पर्यवेक्षीय अनुभव।  वांछनीयः - सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में कार्य करने की जानकारी।
13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	निदेशक (प्रशासन) के लिए  पदोन्नित:  वेतन लेवल-11 में 10 वर्ष की नियमित सेवा हो
		प्रतिनियुक्ति/पदोन्नितः  I) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों के अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन: - (क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हों (ख) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ii) संगत क्षेत्र में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11/12 में 10/5 वर्ष की नियमित सेवा की हो
		या  II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योग के अधिकारी जो सीधे सरकार से संबंधित नहीं हैं और किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या शोध संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद पर कार्यरत हो जिनके पास ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव हो।
		निदेशक (वित्त) के लिए पदोन्नितः वेतन स्तर-11 में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ
		<u>प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति</u> :
		I) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक

		क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों के अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन: - (क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों (ख) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ii) संगत क्षेत्र में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11/12 में 10/5 वर्ष की नियमित सेवा हो  या
		II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योग के अधिकारी जो सीधे सरकार से संबंधित नहीं हैं और किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या शोध संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद पर कार्यरत हो, जिनके पास ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव हो।
14	भर्ती समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 3 xvi (III और IV) के अनुसार
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 10 (v) (ख) के अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा पदोन्नति (एनएस)	लागू नहीं
17	पदोन्नति समिति की संरचना	लागू नहीं
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित न्यूनतम वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	लागू नहीं

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	सहायक निदेशक
2	वर्गीकरण	प्रशासनिक
3	वेतन स्तर	11 ( 7वे वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	2 (2023)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद	लागू नहीं
	(एनएस) है?	
6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित	नहीं
	जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	
	समुदाय के सदस्यों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं	
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श लिए	लागू नहीं
	जाने से छूट प्राप्त है	
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की	भारतीय
	राष्ट्रीयता	
9	नियुक्ति की पद्धति	पदोन्नति, पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
		(अल्पकालिक अनुबंध सहित) तथा दोनों न होने पर सीधी
		भर्ती द्वारा
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का %	100%

11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती है तो सीधी भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु	सीधी भर्ती के लिए 40 वर्ष और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए 56 वर्ष
12	सीमा सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव	अनिवार्य योग्यताः संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री/संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पश्चात स्नातक डिग्री/सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएमए/सीएस के साथ नौ वर्ष का पर्यवेक्षीय अनुभव
		वांछनीयः सरकारी नियमों और विनियमों और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में कार्य करने की जानकारी।
13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	<u>पदोन्नतिः</u>
		वेतन स्तर-8 में 8 वर्षों की नियमित सेवाओं के साथ प्रिति नियुक्ति :
		I) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों के अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन:: -
		(क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो ख)(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ii) संगत क्षेत्र में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10/8/7 में 5/8/9 वर्ष की नियमित सेवा।
		या
		II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योग के अधिकारी जो सीधे सरकार से संबंधित नहीं हैं और किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या शोध संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद पर कार्यरत हो, जिनके पास ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव हो।
14	भर्ती समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 3 xvi. (VI) के अनुसार
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 10 (v) (ख) के अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा पदोन्नति (एनएस)	लागू नहीं
17	पदोन्नति समिति की संरचना	लागू नहीं
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित न्यूनतम वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	लागू नहीं

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	अनुभाग अधिकारी

2	वर्गीकरण	प्रशासनिक
3	वेतन स्तर	8 ( 7वे वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	4 (2023)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद (एनएस) है?	लागू नहीं
6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सदस्यों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं	नहीं
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श लिए जाने से छूट प्राप्त है	लागू नहीं
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता	भारतीय
9	नियुक्ति की पद्धति	पदोन्नति, पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) तथा दोनों न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का %	100%
11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती है तो सीधी भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए 30 वर्ष और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए 56 वर्ष
12	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव	अनिवार्य योग्यताः संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में स्नातक डिग्री / संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ स्नातक डिग्री / सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएमए/सीएस के पश्चात न्यूनतम पांच वर्ष का योग्यता उपरांत अनुभव वांछनीयः सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में कार्य करने की जानकारी।
13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	पदोन्नतिः पदोन्नतिः
		वेतन लेवल-6 में 6 वर्ष की नियमित सेवा
		<u>पदोन्नतिः</u>
		I) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों के अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन: -      (क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों।      (ख) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना या      (ii) प्रासंगिक क्षेत्र में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में 2 वर्ष की नियमित सेवा।
		या
		II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योग के अधिकारी जो सीधे सरकार से संबंधित नहीं हैं और किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या शोध संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद पर कार्यरत हो, जिनके पास ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और

		अनुभव हो।
14	भर्ती समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 3 xvi. (VI) के
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	अनुसार ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 10 (v) (ग) के
	-	अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा पदोन्नति (एनएस)	लागू नहीं
17	पदोन्नति समिति की संरचना	लागू नहीं
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित न्यूनतम वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	लागू नहीं

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	सहायक अनुभाग अधिकारी
2	वर्गीकरण	प्रशासनिक
3	वेतन स्तर	6 ( 7 वें वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	4 (2023)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद (एनएस) है?	लागू नहीं
6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सदस्यों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं	नहीं
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श लिए जाने से छूट प्राप्त है	लागू नहीं
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता	भारतीय
9	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती, सीधी भर्ती न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का %	100%
11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती है तो सीधी भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए 30 वर्ष और प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए 56 वर्ष
12	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव	अनिवार्य योग्यताः किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या समकक्ष, साथ ही किसी सरकारी/पीएसयू/सीएबी/प्रतिष्ठित निजी कंपनी में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव, समतुल्य पारिश्रमिक के साथ।
		वांछनीयः सरकारी नियमों और विनियमों और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में कार्य करने की जानकारी।
13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	प्रति नियुक्ति
		<ul><li>तेन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान</li></ul>

		संगठन/संस्थान के अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन हों : - (क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो या (ii) संबंधित क्षेत्र में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो।
		या
		II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योग के अधिकारी जो सीधे
		सरकार से संबंधित नहीं हैं और किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या शोध संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद पर हैं, जिनके पास
		ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव हो।
14	भर्ती समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 3 xvi. (VI) के
		अनुसार
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 10 V (ग) के अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा	लागू नहीं
	पदोन्नति (एनएस)	
17	पदोन्नति समिति की संरचना	लागू नहीं
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित	लागू नहीं
	न्यूनतम वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2	वर्गीकरण	प्रशासनिक
3	वेतन स्तर	12 ( 7वें वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	1 (2023)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद	लागू नहीं
	(एनएस) है?	
6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित	नहीं
	जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सदस्यों के	
	आरक्षण के दायरे से बाहर हैं	
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श लिए	लागू नहीं
	जाने से छूट प्राप्त है	
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की	भारतीय
	राष्ट्रीयता	
9	नियुक्ति की पद्धति	पदोन्नति, पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
		(अल्पकालिक अनुबंध सहित) तथा दोनों न होने पर
		सीधी भर्ती द्वारा
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का %	100%
11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती है तो सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के लिए 50 वर्ष और प्रतिनियुक्ति
	लिए जाने वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा	(अल्पकालिक अनुबंध सहित) के लिए 56 वर्ष

12	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव	किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री के साथ न्यूनतम ग्यारह वर्ष का संगत अनुभव, जिसमें आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट / हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति शामिल हो।
13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	पदोन्नति: वेतन स्तर-11 में 5 वर्ष की नियमित सेवाओं के साथ प्रतिनियुक्ति :
		प्रातानशुक्तः  I) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों के अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों को पूर्ति के अध्यधीन - क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो ख) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ii) संबंधित क्षेत्र में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो
		या
		II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योग के अधिकारी जो सीधे सरकार से संबंधित नहीं हैं और किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या शोध संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद पर कार्यरत हो, जिनके पास ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव है।
14	भर्ती समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 3 xvi. (VI) के अनुसार
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय के भर्ती नियम के खंड 10 (v) (ख) के अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा पदोन्नति (एनएस)	लागू नहीं
17	पदोन्नति समिति की संरचना	लागू नहीं
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित न्यूनतम वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	लागू नहीं

क्रम सं.	शीर्षक	विवरण
1	पद का नाम	निजी सचिव
2	वर्गीकरण	प्रशासनिक
3	वेतन स्तर	11 ( 7वें वेतन आयोग के अनुसार)
4	स्वीकृत संख्या	4 (2023)
5	क्या यह पद चयन पद (एस) या गैर चयन पद	लागू नहीं
	(एनएस) है?	

6	क्या ये पद नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/	नहीं
	अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सदस्यों के आरक्षण के दायरे से बाहर हैं	
7	क्या पद भरने से पहले यूपीएससी से परामर्श	लागू नहीं
,	लिए जाने से छूट प्राप्त है	\(\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\daggregar{\alpha}{\alpha}\alph
8	नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की	भारतीय
	राष्ट्रीयता	
9	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती, सीधी भर्ती न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
		(अल्पकालिक अनुबंध सहित)
10	नियुक्ति की प्रत्येक विधि का %	100%
11	यदि नियुक्ति की पद्धति सीधी भर्ती है तो सीधी	सीधी भर्ती के लिए 40 वर्ष और प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष
	भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा	(अल्पकालिक अनुबंध सहित)
12	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और	किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री के साथ न्यूनतम नौ वर्ष
	अनुभव	का संगत अनुभव, जिसमें आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट
		की गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट /
		हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति शामिल हो।
13	प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	<u>प्रतिनियुक्ति</u> :
		│ │I) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक
		क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान
		संगठनों/संस्थानों के अधिकारी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा
		करने के अध्यधीन: -
		क) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और
		अनुभव हो
		ख) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण
		किए ही
		या
		(ii) संबंधित क्षेत्र में पे मैट्रिक्स के लेवल-10/8 में 5/8 वर्ष की
		नियमित सेवा की हो
		या
		│ │II) संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्योग के अधिकारी जो सीधे
		सरकार से संबंधित नहीं हैं और ऊपर पंक्ति 12 में उल्लिखित
		योग्यता और अनुभव के साथ किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक या
		शोध संस्थान या उद्योग में समकक्ष पद पर कार्यरत हो।
14	भर्ती समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय की भर्ती नियमों के खंड 3 xvi. (VI) के
		अनुसार
15	सेवा पृष्टि समिति की संरचना	ब्रिक सचिवालय की भर्ती नियमों के खंड 10 (v) (ख) के
		अनुसार
16	चयन द्वारा पदोन्नति (एस) या गैर चयन द्वारा	लागू नहीं
1.5	पदोन्नति (एनएस)	
17	पदोन्नति समिति की संरचना	लागू नहीं
18	पदोन्नति के लिए फीडर ग्रेड में अपेक्षित	लागू नहीं
	न्यूनतम वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक है	

[फा. सं. ए.आई.-99013/17/2024-एमईडी-डीबीटी (ई-19724)]

# MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2025

G.S.R. 602(E).—



# BRIC SECRETARIAT RECRUITMENT RULES

## 2025

#### **BRIC SECRETARIAT RECRUITMENT RULES-2025**

#### 1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

These Rules may be called "BRIC Secretariat Recruitment Rules-2025".

They shall come into force from the date of notification by the BRIC with the approval of the Government of India.

#### 2. OBJECTIVES

- To meet manpower requirements of the BRIC Secretariat by recruiting competent employees in terms of requisite capabilities, skills, qualifications, aptitude, merit and suitability with a view to fulfil the BRIC's objectives.
- ii. To attract, select and retain the best talent available keeping in view the changing needs of the BRIC
- iii. To establish an objective and reliable system of selection.
- iv. To integrate growth opportunities of the employees with fulfilment of the BRIC's objectives.
- v. To provide for a system, which is fair, objective and transparent in matters of recruitment of employees.
- vi. To ensure compliance with the relevant Government policies and directives on recruitment.

#### 3. DEFINITIONS & ABBREVIATIONS

In these Rules, unless the context otherwise requires, the following terms shall mean as under

- i. Age: Age means the legal age as mentioned in the birth certificate or matriculation/Class-X certificate or equivalent to matriculation/Class-X certificate of the candidate as specified in these rules.
- ii. Annexures: shall mean the annexures attached to the Schedules of these rules.
- iii. Approving Authority: shall be as specified at Clause 9 of these Rules.
- iv. **Appointing Authority:** shall be as specified at Clause 9 of these rules and shall be that authority who is holding charge in regular capacity under these rules.
- v. **BRIC:** shall mean the 'Biotechnology Research and Innovation Council', a registered Society under the Society's Registration Act 1860 set up by the Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology, Government of India.
- vi. **Bye Laws**: Shall mean the BRIC Bye Laws framed and amended from time to time having the financial concurrence of the Integrated Finance Division (IFD) of DBT and approval of the Minister-in charge of the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.
- vii. Candidate: means the person/member of staff who is eligible for consideration of any of the positions specified in the Schedules of these rules.
- viii. Competent Authority: Minister- in charge of Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology or any such authority to whom such power is so delegated.

- DBT: shall mean the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India.
- Deputy Director General: Deputy Director General (DDG) shall mean the Deputy Director General of the BRIC.
- xi. Director: shall mean the Director of BRIC.
- xii. Director General: Director General (DG) shall mean the Director General of the BRIC.
- xiii. **DoPT**: shall mean the Department of Personnel and Training, Government of India.
- xiv. **Duty Post:** shall mean all the sanctioned posts which are included in Schedule of these rules as sanctioned by the Department of Expenditure.
- xv. EFC: shall mean the Expenditure Finance Committee of the Government of India.
- xvi. I. For Position at Pay Level 14 i.e. DDG (Admn./Fin./Sci.):

Through Search-cum-Selection Committee (ScSC) with the approval of Hon'ble Minister as per DoP&T guidelines issued from time to time.

#### II. For Position at Pay Level 13A i.e. Director (Sci.):

#### Through Recruitment Committee having the following composition:-

- a. Chairperson- Director General, BRIC
- Members Two Scientific Experts to be nominated by Secretary, DBT who shall not below Pay Level 14
- e. Member Joint Secretary in-charge of Administration, DBT.

#### III. For Position at Pay Level 13 i.e. Director (Admn.):

#### Through Recruitment Committee having the following composition:-

- a. Chairperson- Director General, BRIC.
- b. Member DDG(Admn.), BRIC.
- c. Member– Joint Secretary in-charge of Administration, DBT.

#### IV. For Position at Pay Level 13 i.e. Director (Fin.):

#### Through Recruitment Committee having the following composition:-

- a. Chairperson- Director General, BRIC.
- b. Member AS&FA, DBT
- c. Member DDG(Fin.), BRIC.
- d. Member– Joint Secretary in-charge of Administration, DBT.

#### V. For Position at Pay Level 12 i.e. Deputy Director

#### Through Recruitment Committee having the following composition:-

- a. Chairperson- Director General, BRIC.
- Members Two Scientific Experts to be nominated by Secretary, DBT who shall be officers not below Pay Level 13.
- c. Member- Joint Secretary in-charge of Administration, DBT.

## VI. For Position from Pay-Level 12 to Pay Level-6 i.e. Sr. PPS, Assistant Director, PS, SO and ASO:

#### Through Recruitment Committee having the following composition:-

- a. Chairperson- Joint Secretary in-charge of Administration, DBT
- b. Member DDG(Admn), BRIC.
- c. Member Director (Admn), BRIC.

#### VII. General Considerations while constituting the Committee

- a. Shall comprise of members of reserved community in case of posts being reserved or candidates appearing for the recruitment belonging to reserved community even if the post for which recruitment is held is unreserved.
- b. No member of the vigilance organization shall be part of the committee.
- c. No officer whose name is figuring in the Agreed list or has a Vigilance case pending against him/her shall be a member of any committee.
- d. Shall comprise of members from minority community (can be a grade below) in cases of candidates from minority community appearing for recruitment. {Only religious minorities are to be considered i.e. Muslim, Sikh, Jain, Christians, Parsis, Buddhists and not any other minorities like linguistic etc.).
- e. Shall essentially comprise of a woman member.

#### VIII. Confirmation Committee: Committee to be constituted by the appointing authority.

- xvii. **Governing Body:** shall have the same meaning as defined in Memorandum of Association and the Bye Laws of the BRIC.
- xviii. Institute: shall mean any of the 13 Autonomous Institutes of the BRIC.
- xix. Levels: Means corresponding replacement level of posts specified in the Schedule of these Rules as per CCS (RP) Rules 2016.
- xx. **Memorandum of Association:** means Memorandum of Association and Rules & Regulations describing the terms & conditions of the BRIC Society.
- xxi. Recruitment Rules (RRs): shall mean the Rules framed for the purpose of Recruitment to the duty posts as specified in the Schedule of these Rules and approved by the competent authority.
- xxii. **Schedule**: shall mean the Schedule attached to these rules.
- xxiii. Search cum Selection Committee (ScSC): shall have the same meaning as defined in the DoPT guidelines issued from time to time.
- xxiv. The expressions "Scheduled Castes" (SC), "Scheduled Tribes" (ST), "Other Backward Classes" (OBC), Economically Weaker Section" (EWS), "Ex-Serviceman" (ESM) and the "Persons with Benchmark Disabilities" (PwBD): shall have the meaning respectively assigned to them in the Constitution of India/Acts of Parliament.

#### 4. APPLICABILTY

These rules shall apply to all the persons holding the duty posts on regular basis of the BRIC Secretariat.

#### 5. AGE RELEAXATION:

- Extent DoPT guidelines for candidates belonging to SC/ST/OBC / Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) ex-servicemen shall be applicable.
  - ii. Following shall be the Application Fees for candidates applying for posts to be filled by open advertisement.

Applying for →	Level 9 and Below	Level -10 and above	Level 14 and above
Unreserved & OBC candidates	Rs 500/-	Rs 1000/-	Rs 1500/-

- a. All efforts to be made by the Institution to have a cost neutral recruitment exercise.
- b. The fee structure shall be reviewed every 02 years by a duly constituted committee under the chairmanship of the Director General (DG).
- c. As per the prevailing guidelines of GOI, for candidates of (i) SC/ST community (ii) Women, ESM and PwBD category of any community are exempted from Application Fees.

#### 6. METHOD OF SELECTION

- i. The methods of recruitment for each of the positions as detailed in at Schedule which is to be filled up by open advertisement shall be in terms of extant DoPT guidelines.
- ii. Complete transparency shall be observed in the recruitment process.
- iii. The posts mentioned in the Schedule shall be filled by positive act and shall be advertised in the leading newspapers in English and Hindi language before being filled up and after obtaining approval of the Secretary, DBT.
- iv. There shall be no change in the number of vacancy to be filled up or-any in the procedures once the recruitment process has been initiated by ways of advertisement, including each provision mentioned in the Recruitment Rules for the said post. In case there is a change in the number of vacancy, or procedure the recruitment process would be initiated afresh.
- v. In case of filling up of any post with any amended provision of the Recruitment Rules, approval of the Hon'ble Minister, DBT, would be sought before initiating the recruitment process.
- vi. The panel recommended by the ScSC/Selection Committee prepared in order of merit for all posts shall be approved by the Approving authority before being implemented and shall be valid for a period of one year.
- vii. Offer of appointment shall be made only for the posts which had been duly advertised.
- viii. Each recruitment exercises once initiated shall ordinarily be finalized within a maximum period of 08 months, unless stayed by orders of any Court or decided otherwise by the Government. Efforts shall be made to complete the exercise in the minimum period.
- ix. In case of shortage of staff, due approval of Department of Expenditure would be obtained for creation of additional posts.

x. In case it is noticed that a post is not getting filled up by the prescribed mode of recruitment, despite being advertised minimum (02) two times, suitable amendment in the provisions of the Recruitment Rules may be done with the approval of Hon'ble Minister, DBT and the recruitment process may be again initiated with amended provisions of the Recruitment Rules.

#### 7. DETERMINATION OF MERIT ON INITIAL APPOINTMENT

In case of selection of two or more candidates in the same Grade on the same date, the recommendation shall invariably be made in the order of merit of selected candidates for the purpose of determining rank in panel. In case the marks obtained by two or more candidates are the same, then rank in the panel among such candidates shall be decided as under:

- iv. The elder candidate will be placed above in rank in the panel;
- v. If the candidates have same date of birth then, the work experience of the candidate will be considered; and
- vi. if the work experience is also the same then, the names of candidates shall be arranged in the alphabetical order to determine the rank in the panel.

#### 8. CONDITION FOR DIRECT RECRUITMENT

- i. All appointments in the BRIC will be subject to the selected candidates being found medically fit by the medical authority as will be notified by the BRIC. BRIC will notify the list of authorized medical officers who shall essentially be doctors of Government hospitals to medically examine the selected candidates before their actual appointment. Report of the Medical Officer shall be sent in sealed cover to the DDG (Admn), BRIC. In case of report of DDG & Admn, Sci. & Fin., the same shall be sent in seal cover to the DG, BRIC.
- ii. The verification of character & antecedents, from the police authorities and other testimonials/certificates from educational institutes and previous employer shall be done, as per extant instructions issued in this regard by DoPT vide OM No. 18011/2(s)/2016-Estt. (B)(i) dated June 29, 2016, as amended from time to time.

#### 9. APPOINTING AUTHORITY AND APPROVING AUTHORITY

- i. For Positions at Pay Level 14: Hon'ble Minister, DBT.
- ii. For positions from Pay Level 11 to Pay Level 13 A: Director General, BRIC, with the approval of Hon'ble Minister, DBT.
- iii. For positions at Pay Level 6 and Pay Level 8: Deputy Director General (Administration), BRIC with the approval of Director General, BRIC.

#### 10. PROBATION AND CONFIRMATION

- i. A candidate on first appointment by direct recruitment will be on probation for a period of two years from the date he/she assumes charge of the post.
- ii. Notwithstanding anything contained in the Rules, the probation period of a staff member may be terminated or extended for a period not exceeding one year with the approval of the Appointing Authority.
- iii. If the probation is terminated, at the end of the normal probationary period or at the end of the extended period:
  - a) The services of the probationer, if he was directly recruited, will be terminated forth with, and
  - b) If the probationer was an employee of the BRIC, he/she will be reverted back to his earlier post/grade subject to his/her lien being maintained as per the rules.
- iv. There shall, in each case of satisfactory completion of probation, be a written order to that effect confirming successful completion of probation period. The order shall specify the date on which the probation is deemed to have been satisfactorily completed. In the absence of such an order, the probation period will not be deemed to have been confirmed; meaning thereby that confirmation following the probation period is not automatic but shall be done by a positive act with due process after the Confirmation Committee formed with the approval of the Appointing Authority recommends the same. In any case, such a committee shall always be framed within 30 days of completion of probation period or extended period of probation. The committee shall make its recommendations within 04 weeks of its constitution.
- v. All cases of confirmation of probation shall be approved by
  - a) Pay Level 14 Hon'ble Minister, DBT.
  - b)Pay Level 11 to Pay Level 13 A Director General, BRIC
  - a) Pay Level 6 and Pay Level 8 Deputy Director General (Administration)

- vi. In case, the Appointing Authority does not agree with the recommendations of the Confirmation Committee, he/she shall record his/her reasons in writing before disapproving the recommendations and terminate the services of the probationer.
- vii. The services of the probationer shall be confirmed from the date following the date of satisfactory completion of the prescribed period of probation or the extended period of probation as the case may be, only after which he shall be deemed to be a regular employee of the BRIC till his resignation/death/superannuation whichever is earliest.
- viii. Only staff appointed on regular positions (irrespective of whether they are on probation or tenure) shall be eligible for service benefits of the secretariat like leave benefits, pay and allowances, annual increments, medical benefits, other benefits, etc.

#### 11. PERIOD OF DEPUTATION

- i. The period of deputation shall be subject to a minimum of three years, which can be extended up to a maximum period as per the extant orders of DoPT, only after the written consent of the incumbent and lending organization. The terms and conditions for tenure of deputation shall be as applicable in terms of extant Govt. of India instructions issued from time to time.
- ii. During the period of deputation, the candidate's term shall be regulated by the Conduct Rules of the borrowing organisation i.e. BRIC.
- The borrowing organization shall be responsible for making any such contribution as mandated by the lending organization.
- iv. The lien of the candidate appointed on deputation shall be retained in the lending organization, till the period of deputation. On the expiry of the period of deputation the candidate shall be repatriated back to his/her parent department immediately.
- v. Posts filled by Deputation shall be exempt from the purview of Reservation Rules.

#### 12. LIABILITY OF OFFICERS TO SERVE IN INDIA OR ABROAD

All the employees who are appointed under these Rules shall be liable to serve anywhere in the country or abroad. The reasons for serving away from the BRIC Secretariat be recorded in writing and approval of the Hon'ble Minister, DBT may be obtained.

- **13. DISQUALIFICATION:** Any of the persons mentioned below would stand disqualified for the appointment/service:
  - i. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - ii. who is having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

iii. whose character and antecedent has been objected to by the District Magistrate/ Collector/ whose identity has not been established by the Police.

#### 14. REVOCATION OF APPOINTMENT

Can be done at any stage during the period of probation (without notice) if the appointed person at any stage before or after appointment has:

- i. withheld information, given false information or provided false certificates/testimonials so as to secure appointment through wrongful means or intent,
- ii. lied under oath,
- iii. has been convicted of a criminal offence under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and awarded punishment under any of the provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).
- iv. indulged in activities which are prejudicial to the interests of the STATE.

#### 15. PERIODIC REVIEW OF RECRUITMENT RULES

Provisions of the Recruitment Rules shall be compulsorily reviewed once in 05 years with view to affecting the changes as are necessary to bring them in conformity with the changed position.

#### 16. AUTHORITY TO EXERCISE POWERS UNDER THESE RULES

Only regularly appointed Appointing Authority on substantive/regular/fulltime basis shall have powers to exercise authority under these Rules.

#### 17. POWERS TO RELAX/AMEND/MODIFY

Notwithstanding anything contained in these Rules any of the provisions in these Rules can be relaxed/amended/modified with the approval of the Hon'ble Minister, DBT in the Government of India, upon the recommendations of the Governing Body of the BRIC provided they are in conformity with the instructions of the Government of India.

#### 18. JURISDICTION OF THE COURTS

In the case of any dispute arising between BRIC and others, the jurisdiction will be the Honourable High Court of Delhi.

#### 19. SAVING CLAUSE

- i. Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- ii. The provisions of the Govt. of India shall prevail under circumstances where there are no specific clauses provided in these recruitment rules.

S. No	Title	Descriptions
1	Name of the post	Deputy Director General (Science)
2	Classification	Scientific
3	Pay level	14 ( as per 7th CPC)
4	Sanctioned Strength	2 (2024)
5	Is the post a Selection Post(S) or Non Selection Post (NS)	Not applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable
8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Direct recruitment failing which by Deputation (including short term contract)
10	%age of each method of appointment	100%
11	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment	50 years for direct recruitment and 58 years for deputation (including short term contract)
12	Educational Qualification and Experience for direct recruitment	Essential: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in any area of Life Sciences or Biotechnology or Chemical or Computational and Information or Agricultural or Pharmaceutical or Veterinary Sciences from a recognized University or institute with at least sixteen years of post-qualification experience in Research and Development or management and administration or planning or industrial or academic institutions or Science and Technology organizations with a broad perspective of biotechnology.

13	Eligibility for Deputation	<b>Deputation</b> :
		I) Scientists from the Central Govt./State Govt./ Universities/ Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations/ institutes subject to fulfillment of the following conditions:- (a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits (b) (i) Holding analogous post on regular basis in parent cadre or, (ii) With 2/ 3 years regular service in the Pay Level- 13A/13  OR
		II)Scientists from Research Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry within or outside India with qualification & experience as mentioned at row 12 above
14	Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (I) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
15	Composition of Confirmation committee	As per clause 10 (v) (a) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
16	Promotion by Selection (S) or Non Selection (NS)	Not Applicable
17	Composition of Promotion Committee	Not Applicable
18	Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not Applicable

S. No	Title	Descriptions
1	Name of the post	Director (Science)
2	Classification	Scientific
3	Pay level	13 A (as per 7th CPC)
4	Sanctioned Strength	2 (2023)
5	Is the post a Selection Post(S) or Non Selection Post (NS)	Not applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable
8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Direct recruitment failing which by Deputation (including short term contract)
10	%age of each method of appointment	100%
11	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment	50 years for direct recruitment and 56 years for deputation (including short term contract)

12	Educational Qualification and Experience for direct recruitment	Essential: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in any area of Life Sciences or Biotechnology or Chemical or Computational and Information or Agricultural or Pharmaceutical or Veterinary Sciences from a recognized University or institute with at least twelve years of post-qualification experience in Research and Development or management and administration or planning or industrial or academic institutions or Science and Technology organizations with a broad perspective of biotechnology
13	Eligibility for Deputation	Deputation:  I) Scientists from the Central Govt./ State Govt./ Universities/ Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations/ institutes subject to fulfillment of the following conditions:-  (a)Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits (b) (i) Holding analogous post on regular basis in parent cadre or, (ii) With 2 years' regular service in the Pay Level-13  OR  II)Scientists from Research Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry within or outside India with qualification & experience as mentioned at row 12 above
14	Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (II) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
15	Composition of Confirmation committee	As per clause 10 (v) (b) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
16	Promotion by Selection (S) or Non Selection (NS)	Not Applicable
17	Composition of Promotion Committee	As per RFCS
18	Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not Applicable

S. No	Title	Descriptions
1	Name of the post	Deputy Director
2	Classification	Scientific
3	Pay level	12 (as per 7th CPC)
4	Sanctioned Strength	2 (2023)
5	Is the post a Selection Post(S) or Non-Selection Post (NS)	Not applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Direct recruitment failing which by Deputation (including short term contract)
10	%age of each method of appointment	100%
11	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment and Deputation	50 years for direct recruitment and 56 years for deputation (including short term contract)
12	Educational Qualification and Experience for Direct Recruitment	Essential: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in any area of Life Sciences or Biotechnology or Chemical or Computational and Information or Agricultural or Pharmaceutical or Veterinary Sciences from a recognized University or institute with at least four years of post-qualification experience in Research and Development or management and administration or planning or industrial or academic institutions or Science and Technology organizations with a broad perspective of biotechnology
13	Eligibility for Deputation	Deputation:  I) Scientists from the Central Govt./State Govt. Universities/ Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations/ institutions, subject to fulfillment of the following conditions: -  (a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits  (b)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or  (ii) With 4 years regular service in the Pay Level-11  OR  II) Scientists from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry within or outside India with qualification & experience as mentioned at row 12 above
14	Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (V) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
15	Composition of Confirmation committee	As per clause 10 (v) (b) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
16	Promotion by Selection (S) or Non-Selection (NS)	Not Applicable
17	Composition of Promotion Committee	As per RFCS
18	Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not Applicable

S.	Title	Descriptions
No.		
1	Name of the post	Deputy Director General (Administration/Finance)
2	Classification	Administrative
3	Pay level	14 (as per 7th CPC)
4	Sanctioned Strength	2 (2024)

-		
5	Is the post a Selection Post(S) or Non-Selection Post (NS)	Not applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable
8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing both by Direct Recruitment
10	%age of each method of appointment	100%
11	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment and Deputation	50 years for direct recruitment and 58 years for deputation (including short term contract)
12	Educational Qualification and Experience for Direct Recruitment	Essential: Post Graduate degree in the relevant functional area/ Graduate degree with two-year Post Graduate diploma in the relevant functional area/CA/ICWA/CMA/CS with minimum sixteen years post qualification supervisory experience  Desirable: - Knowledge of Government Rules and Regulations and working in computerized environment. biotechnology
13	Eligibility for Deputation/Promtion	For the post of DDG (Admn.)
	Englosity for Department Transfer	Promotion: With 3 years regular service in the Pay Level-13  Deputation:
		I) Officials from the Central Govt./State Govt. Universities/Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations/ institutions, subject to fulfillment of the following conditions: -  (a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits  (b) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or  (ii) With 2/3 years regular service in the Pay Level-13A/13  OR  II) Officials from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry with qualification & experience as mentioned at row 12 above

		For the post of DDG(Fin.)
		Promotion:
		With 3 years regular service in the Pay Level-13
		Deputation:
		I) Officials from the Central Govt./State Govt. Universities/Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations/ institutions, subject to fulfillment of the following conditions: -  (a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits  (b) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or  (ii) With 2/3 years regular service in the Pay Level-13A/13
		OR
		II) Officials from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry with qualification & experience as mentioned at row 12 above
14	Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (I) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
15	Composition of Confirmation committee	As per clause 10 (v) (a) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
16	Promotion by Selection (S) or Non-Selection (NS)	Not Applicable
17	Composition of Promotion Committee	Not Applicable
18	Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not Applicable

S.	Title	Descriptions
No.		
1	Туре	Director (Administration/Finance)
2	Classification	Administrative
3	Pay level	13 (as per 7th CPC)
4	Sanctioned Strength	2 (2023)
5	Is the post a Selection Post(S) or Non-Selection Post (NS)	Not applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing both by Direct Recruitment
10	%age of each method of appointment	100%
11	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment and Deputation	50 years for direct recruitment and 56 years for deputation (including short term contract
12	Educational Qualification and Experience for Direct Recruitment	Essential: Post Graduate degree in the relevant functional area/ Graduate degree with two-year Post Graduate diploma in the relevant functional area/CA/ICWA/CMA/CS with minimum fifteen years' post qualification supervisory experience.
		<b>Desirable</b> : - Knowledge of Government Rules and Regulations and working in computerized environment.
13	Eligibility for Deputation/Promotion	For Director(Administration)
		Promotion:
		With 10 years regular services in the Pay Level-11
		<u>Deputation/Promotion</u> :
		I) Officials from the Central Govt./State Govt. Universities/Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations/ institutions, subject to fulfillment of the following conditions: -  (a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits  (b) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or  (ii) With 10/5 years regular services in the Pay Level-11 / 12 of Pay Matrix in the relevant field
		OR
		II) Officials from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry with qualification & experience as mentioned at row 12 above
		For Director(Finance)
		Promotion:
		With 10 years regular services in the Pay Level-11
		Deputation/Promotion:
		I) Officials from the Central Govt./State Govt. Universities/Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations/ institutions, subject to fulfillment of the following

		conditions: -  (a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits  (b) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or  (ii) With 10/5 years regular services in the Pay Level- 11 / 12 of Pay Matrix in the relevant field  OR  II) Officials from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry with qualification & experience as mentioned at row 12 above
14	Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (III & IV)of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
15	Composition of Confirmation committee	As per clause 10 (v) (b) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
16	Promotion by Selection (S) or Non-Selection (NS)	Not Applicable
17	Composition of Promotion Committee	Not Applicable
18	Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not Applicable

S. No.	Title	Descriptions
1	Name of the post	Assistant Director
2	Classification	Administrative
3	Pay level	11 (as per 7th CPC)
4	Sanctioned Strength	2 (2023)
5	Is the post a Selection Post(S) or Non Selection Post (NS)	Not applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable
8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing both by Direct Recruitment
10	%age of each method of appointment	100%
11	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment and Deputation	40 years for direct recruitment and 56 years for deputation (including short term contract)
12	Educational Qualification and Experience for direct recruitment	<b>Essential:</b> Post Graduate degree in the relevant functional area/Graduate degree with two year Post Graduate diploma in the relevant functional

		area/CA/ICWA/CMA/CS with nine years post qualification supervisory experience
		<b>Desirable</b> : Knowledge of Government rules & regulations and working in a computerized environment.
13	Eligibility for Deputation/Promotion	Promotion:
		With 8 years regular services in the Pay Level-8
		Deputation:
		I) Officials from the Central Govt., /State Govt./ Universities/ Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations /institutes subject to fulfillment of the following conditions: -
		(a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits b)(i) Holding analogous posts on regular basis or (ii) With 5/8/9 years regular service in Level-10/8/7 of Pay Matrix in the relevant field.
		OR
		II) Officials from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry with qualification & experience as mentioned at row 12 above
14	Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (VI) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
15	Composition of Confirmation committee	As per clause 10 (v) (b) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
16	Promotion by Selection (S) or Non Selection (NS)	Not Applicable
17	Composition of Promotion Committee	Not Applicable
18	Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not Applicable

S. No.	Title	Descriptions
1	Name of the post	Section Officer
2	Classification	Administrative
3	Pay level	8 (as per 7th CPC)
4	Sanctioned Strength	4 (2023)
5	Is the post a Selection Post(S) or Non-Selection Post (NS)	Not applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable
8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing both by Direct Recruitment

%age of each method of appointment	100%
Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment and Deputation	30 years for direct recruitment and 56 years for deputation (including short term contract)
Educational Qualification and Experience for Direct Recruitment	Essential: Graduate degree in the relevant functional area / Graduate degree with two year Post Graduate diploma in the relevant functional area/CA/ICWA/CMA/CS with minimum five years' post qualification experience
Fligibility for Deputation/Promotion	<b>Desirable</b> : Knowledge of Govt. rules and regulations and working in computerized environment. <b>Promotion:</b>
Englosity for Department Follows	With 6 years regular services in the Pay Level-6
	Deputation:
	<ol> <li>Officials from the Central Govt., /State Govt./ Universities/ Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations /institutes subject to fulfillment of the following conditions: -</li> <li>(a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits</li> <li>a) (i) Holding analogous posts on regular basis or (ii) With 2 years regular service in Level-7 of Pay Matrix in the relevant field.</li> </ol>
	OR
	II) Officials from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry with qualification & experience as mentioned at row 12 above
Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (VI) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
Composition of Confirmation committee	As per clause 10 (v) (c) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
Promotion by Selection (S) or Non-Selection (NS)	Not Applicable
Composition of Promotion Committee	Not Applicable
Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not Applicable
	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment and Deputation  Educational Qualification and Experience for Direct Recruitment  Eligibility for Deputation/Promotion  Eligibility for Deputation/Promotion  Composition of Recruitment Committee  Composition of Confirmation committee  Promotion by Selection (S) or Non-Selection (NS)  Composition of Promotion Committee

S. No.	Title	Descriptions
1	Type	Assistant Section Officer
2	Classification	Administrative
3	Pay level	6 (as per 7th CPC)

4	Sanctioned Strength	4 (2023)
5	Is the post a Selection Post(S) or Non-Selection Post (NS)	Not applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable
8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Direct recruitment failing which by Deputation (including short term contract)
10	%age of each method of appointment	100%
11	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment	30 years for direct recruitment and 56 years for deputation (including short term contract)
12	Educational Qualification and Experience for Direct Recruitment	Essential: Graduate degree or equivalent in any discipline with minimum three years' post qualification experience in a Govt. /PSU /CAB/ reputed Private Company with equivalent emoluments.  Desirable: Knowledge of Govt. rules and regulations and working knowledge in computerized environment.
13	Eligibility for Deputation	working knowledge in computerized environment.  Deputation
		<ul> <li>II) Officials from the Central Govt., /State Govt./ Universities/ Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations /institutes subject to fulfillment of the following conditions: -</li> <li>(a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits</li> <li>(i) Holding analogous posts on regular basis or</li> <li>(ii) With 6 years regular service in Level-5 of Pay Matrix in the relevant field.</li> </ul>
		OR
		II) Officials from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry with qualification & experience as mentioned at row 12 above
14	Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (VI) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
15	Composition of Confirmation committee	As per clause 10 V (c) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
16	Promotion by Selection (S) or Non-Selection (NS)	Not Applicable
17	Composition of Promotion Committee	Not Applicable
18	Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not applicable

S. No.	Title	Descriptions
--------	-------	--------------

1	Туре	Senior Principal Private Secretary
2	Classification	Administrative
3	Pay level	12 (as per 7th CPC)
4	Sanctioned Strength	1 (2023)
5	Is the post a Selection Post(S) or Non-Selection Post (NS)	Not applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable
8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing both by Direct Recruitment
10	%age of each method of appointment	100%
11	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment	50 years for direct recruitment and 56 years for deputation (including short term contract)
12	Educational Qualification and Experience for direct recruitment	Graduate degree in any discipline with minimum eleven years of post-qualification relevant experience with speed in stenography 100 words per minute and typing speed of 35 w.p.m in English/ 30 w.p.m in Hindi on computer.
13	Eligibility for Deputation/Promotion	Promotion:  With 5 years regular services in the Pay Level-11  Deputation:  I) Officials from the Central Govt./State Govt. Universities/ Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations/ institutions, subject to fulfillment of the following conditions: - a) (a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits b) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or (ii) With 5 years regular services in the Level-11 of Pay Matrix in the relevant field  OR  II) Officials from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry with qualification & experience as mentioned at row 12 above
14	Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (VI) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
15	Composition of Confirmation committee	As per clause 10 (v) (b) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat

16	Promotion by Selection (S) or Non-Selection (NS)	Not Applicable
17	Composition of Promotion Committee	Not Applicable
18	Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not Applicable

S. No.	Title	Descriptions
1	Туре	Private Secretary
2	Classification	Administrative
3	Pay level	11 ( as per 7th CPC)
4	Sanctioned Strength	4 (2023)
5	Is the post a Selection Post(S) or Non-Selection Post (NS)	Not Applicable
6	Whether the posts are exempted from the purview of reservations in appointments for members of SC/ST/OBC's community	No
7	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable
8	Nationality of Candidates recommended for appointment	Indian
9	Method of Appointment	Direct recruitment failing which by Deputation(including short term contract)
10	%age of each method of appointment	100%
11	Upper Age of Direct Recruits if method of appointment is by Direct Recruitment	40 years for direct recruitment and 56 years for deputation(including short term contract)
12	Educational Qualification and Experience for direct recruitment	Graduate degree in any discipline with minimum nine years of post-qualification relevant experience with speed in stenography 100 words per minute and typing speed of 35 w.p.m in English/ 30 w.p.m in Hindi on computer.
13	Eligibility for Deputation	Deputation:  I) Officials from the Central Govt./State Govt. Universities/ Public Sector Undertakings or Govt. funded research organizations/ institutions, subject to fulfillment of the following conditions: - a) (a) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits b) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or (ii) With 5/8 years regular services in the Level- 10/8 of Pay Matrix in the relevant field  Or  II) Officials from Institutes/Universities/Industry not directly related with Government and holding an equivalent post in a reputed academic or research Institute or industry with qualification & experience as mentioned at row 12 above

14	Composition of Recruitment Committee	As per clause 3 xvi. (VI) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
15	Composition of Confirmation committee	As clause 10 (v) (b) of the Recruitment Rules of BRIC Secretariat
16	Promotion by Selection (S) or Non-Selection (NS)	Not Applicable
17	Composition of Promotion Committee	Not applicable
18	Minimum years of regular service required in feeder grade for promotion	Not applicable

[F.No. AI-99013/17/2024-MED-DBT (E-19724)]

EKTA VISHNOI, Jt. Secy.